



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072025-264857
CG-DL-E-21072025-264857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3196]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947

No. 3196]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2025

का.आ. 3266(अ).—केंद्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5799(अ) तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“1. श्री वीर विक्रम यादव, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- अध्यक्ष;”;

- (ii) क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“17. श्री भरत कुमार शर्मा, सदस्य-सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- सदस्य- सचिव”।

[फा. सं. क्यू-15014/21/2009- सीपीडब्ल्यू]
नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 5799(अ) तारीख 19 नवंबर 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3690(अ) तारीख 20 अक्तूबर, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2025

S.O. 3266(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 read with sub-section (6) of section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the gazette of India, Extraordinary, part-II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 5799(E), dated the 19th November, 2018, namely:—

In the said notification, —

- (i) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“1. Shri Vir Vikram Yadav, Chairman, Central Pollution Control Board,- Chairman;”;
- (ii) for serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

“17. Shri Bharat Kumar Sharma, Member-Secretary, Central Pollution Control Board,- Member-Secretary”.

[F. No. Q-15014/21/2009-CPW]
NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* S.O. 5799(E) dated the 19th November, 2018 and subsequently amended vide notification no.S.O. 3690(E), dated 20th October, 2020.